

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14()2014/बारां रोडस/एफसीए/प्रमुखसं/ 398

दिनांक 12/02/24

विशेषाधिकारी,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय:- जनपद बारां में आर.आई.डी.एफ. वी.सी. योजना के तहत नेहरूपुर से क्षिर तक सड़क निर्माण हेतु 3.2 है0 वनभूमि का प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु। (प्रस्ताव सं. FP/RJ/ ROAD/ 6956/2014)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के पत्र क्रमांक 8बी/राज/06/13/2015/एफ.सी./224 दि. 04.08.2016

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, कोटा के पत्रांक 187 दिनांक 16.01.2024 से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है:-

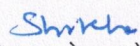
क्र.सं.	आक्षेप	सूचना
1	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 3.2 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रुपये 4,13,280/-(3.2 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि के छः माह में आरक्षित/संरक्षित वनभूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या-2 की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 3.2 हैक्टेयर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु राशि वर्तमान दर से राशि 633600/- रु. कैम्पा मद में दिनांक 11.09.2023 को चालान द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रभावित गैर वनभूमि का हस्तांतरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। गैर वनभूमि के अधिसूचित होने की कार्यवाही कर ली जावेगी।
3	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये 20.032 लाख (3.2 है0 X Rs. 6.26 प्रति है0) जमा की जावेगी। इसके उपरान्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 2020/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में दिये गये आदेशानुसार वर्तमान दरों पर शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 3064896/- रु. कैम्पा मद में दिनांक 11.09.2023 को चालान द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है।

	पावती की छायाप्रतियां जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन रसीद/बैंक ड्राफ्ट/आर0टी0जी0 एस0/एन0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	CA - 633600/- NPV - 3064896/- Total 3698496/-
5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी होती है जो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता संलग्न कर दी गयी है।
6	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4" फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिलरों से किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पिलर पर क्रमांक डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पिलरों से दूरी दर्शायी जायेगी।	प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमांकन सीमा स्तम्भों द्वारा नियमानुसार प्रयोक्ता अभिकरण (User Agency) द्वारा किया जायेगा। (अण्डर टेकिंग संलग्न है।)
7	प्रयोक्ता अभिकरण मक डिस्पोजल योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करावे।	मक डिस्पोजल योजना मय अण्डर टेकिंग संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) सैन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण करेगा तथा इस सड़क में Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या -27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण करेगा तथा इस सड़क में Median नहीं है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।

10	भारतसरकार के पत्रांक 7-23/2012 /एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	समाचार पत्र की प्रति संलग्न कर दी गई है।
----	---	--

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीया,


 (शिखा मेहरा)
 अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
 प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14()2014/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/ 399
 प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक, कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
 दिनांक 12/02/24


 (दिनेश कुमार गुप्ता)
 उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
 अरण्य भवन, जयपुर

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area
NPV : Net Present Value;

- ☒ **To be Verified** : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
☒ **Verified** : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.
☒ **Unpaid** : This icon shows that the payment yet to be made.

- ☒ **Challan Generated** : This icon shows that the challan has been generated.
☒ **Paid** : This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :
 Select User Agency :
 Payment Status : ☒ Paid ☐ Unpaid ☐ All
 Bank Name : Mode of Payment :
 Transaction Date (From) : Transaction Date (To) :
 Enter value for Search :
 SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/ROAD/6956/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/6956/2014) Road from Nehroopur to Jhiri	ROAD69562014818	04 Aug 2016	CA: 633600/- Addl CA : 0/- PCA: 0/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 3064896/- NIL : 0/- NIL : 0/- NIL : 0/- NIL : 0/- Total : 3698496/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by : 10 Aug 2023 Notified Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 25 Aug 2023 Transaction Date : 11 Sep 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/300420230954390291_FPRJROAD69562014_User_Fund_Demanded_539R2 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD69562014818)



SWACHH BHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

india.gov.in

(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)

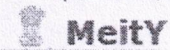


(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

Open Government Data (OGD) Platform India



कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add: Near Chambal Rest House, Kishorpur Kota- 324009 E-Mail:- ccftdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2023-24/ 187

दिनांक: 16.1.2024

निमित्त:-

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान जयपुर

विषय: जनपद बारां में आर०आई०डी०एफ०(वी०सी०) योजना के तहत नेहरूपुर से झिरि तक सड़क निर्माण हेतु 3.2 हैक्टर वनभूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु ।

प्रसंग: भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/राज०/06/13/2015/एफ.सी./224 दिनांक 04.08.2016 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्ता विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र से भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में उप वन संरक्षक बारां द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से मांग पत्र अनुसार बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्राप्त कर संकलित कर पत्र संख्या एफ()एफ.सी.ए./उ.व.स./2023-24/107 दिनांक 02.01.2024 से कार्यालय में प्रेषित की है, जो निम्नानुसार है:-

1	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या-1 तहत नभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न की है। साथ ही 3.2 है० वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई जिसकी जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 3.2 हैक्टर पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रुपये 4,13,280/- (3.2 है० X Rs. 1,29,150 प्रति है०) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि के छः माह में आरक्षित/संरक्षित वनभूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या-2 की पालना के क्रम में यूजर एजेंसी द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 3.2 हैक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु राशि 3.2 है० X 198000/- की दर से राशि 633600/- रु कैम्पा मद में दिनांक 05.09.2023 को चालान द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। जिसकी प्रति संलग्न है।
3	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है०) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है०) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफसी दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये-20.032 लाख (3.2 है० X Rs. 6.26 प्रति है०) जमा की जाएगी। इसके उपरान्त पावती की छायाप्रतियां जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन रसीद/बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस०/एन०एफ०टी० (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा	शर्त संख्या-4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)2020/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफसी दिनांक 05.02.2009 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये 20.032 लाख (3.2 है० X Rs. 6.26 प्रति है०) थी। परन्तु अब राज्य सरकार द्वारा एन.पी.वी. की दर परिवर्तित होने के कारण राशि 3.2 है० X Rs. 957780/- की दर से राशि 3084896/- रु कैम्पा मद में दिनांक 05.09.2023 को चालान द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। जिसकी प्रति संलग्न है।

Signature valid

RajKaj Ref
5334093



Digitally signed by Mahesh Chand
Gupta
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.01.15 10:22:35 IST
Reason: Approved

31/1/24

31/1/24

31-1-24

	धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया है कि यदि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि जमा करा दी जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
6	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट लंबे आ0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या -- 5 के तहत यूजर एजेंसी द्वारा वनक्षेत्र में 4 फिट ऊंचे आर.सी.सी. पिलरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया है कि यह सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। इस आशय की वचनबद्धता संलग्न की है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में विभाग स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण करेगा तथा इस सड़क में Median नहीं है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देश का पालन करेगी।	शर्त संख्या --8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की है जो संलग्न है।
10	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) प्रति निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में प्रेषित करें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।	शर्त संख्या --9 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 2 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करा दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। 1. राजस्थान पत्रिका दिनांक 26.07.2023 2. द टाइम्स ऑफ इण्डिया दिनांक 07.09.2023

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2023-24/

दिनांक:

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक बारां को उनके पत्रांक 107 दिनांक 02.01.2024 के क्रम में सूचनाार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Signature valid

RajKaj Ref
5334093

Digitally signed by Mahesh Chand
Gupta
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.01.15 10:22:35 IST
Reason: Approved

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक 694

दिनांक 8/9/2023

श्रीमान् उपवन संरक्षक,
बारां।

विषय:- नेहरुपुरा से झिरी तक सड़क के निर्माण हेतु 3.2 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु।

प्रस्ताव सं.- FP/RJ/Road/6956/2014

प्रसंग:- श्रीमान् का पत्रांक एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/5130 दिनांक 11.04.2023

एवं सैद्धांतिक स्वीकृति क्रमांक 8वीं/राज0/06/13/2015/एफ.सी./224 दिनांक 04.08.2016 के क्रम में।

महोदय,

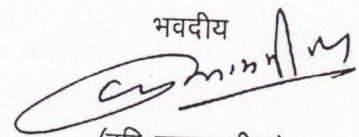
उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित से सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

क्र.सं.		
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 3.2 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 7.50 है० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रुपये-4,13,280/- (3.2 है० X Rs. 1,29,150 प्रति है०) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 3.2 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु श्रीमान् उपवन संरक्षक बारां के पत्रांक 5130 दिनांक 11.04.2023 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा वेज परिवर्तित होने के कारण राशि 3.20 है० X 198000/- की दर से राशि 633600/- रु. कैम्पा मद में दिनांक 05.09.2023 में चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 3.20 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई है। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
3.	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है.) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	डिजिटल मानचित्र (103.4 है.) को वन विभाग में जमा करा दिया गया है। (प्रति संलग्न)
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये-20.032 लाख (3.2 है० X Rs. 6.26 लाख प्रति है०) जमा की जाएगी। इसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक/आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का	शर्त सं. 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये-20.032 लाख (3.2 है० X Rs. 6.26 लाख प्रति है०) थी, परन्तु श्रीमान् उपवन संरक्षक बारां के पत्रांक 5130 दिनांक 11.04.2023 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा NPV की दर परिवर्तित होने के कारण राशि 3.2 है० X 957780/- की दर से राशि 3064896/- रु. कैम्पा मद में दिनांक 05.09.2023 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।


अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

	मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी., क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	
5.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6.	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट उंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक, डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में 4 फीट ऊँचे आर.सी.सी. पीलरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	यह सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगा कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक-16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	सा.नि.वि. यह वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करता है कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक-16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में विभाग स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण करेगा तथा इस सड़क में Median नहीं है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त संख्या 9 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
10.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012 - एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्णय दिनांक 07.11.12 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में प्रेषित करें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।	बिन्दु संख्या 9 श्रीमान् उपवन संरक्षक बारां के पत्रांक 5130 दिनांक 11.04.2023 के क्रम में दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करा दिया गया है। (प्रति संलग्न) 1. दैनिक भास्कर दिनांक 26.07.2023 2. द टाइम्स ऑफ इंडिया 07.09.2023

भवदीय



(हरि प्रसाद मीना)

अधिशायी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद



अधिशायी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक 694

दिनांक 8/9/2023

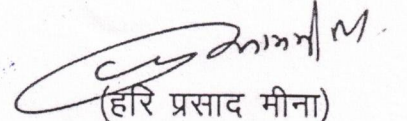
अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- नेहरूपुरा से झिरी तक सड़क का निर्माण ।

प्रस्ताव सं. :- FP/RJ/Road/6956/2014

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 एवं 2 की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

CS



(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

21431

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक 694

दिनांक 8/9/2021

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

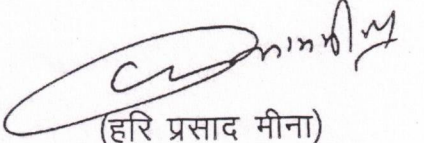
कार्य का नाम :- नेहरूपुरा से झिरी तक सड़क का निर्माण ।

प्रस्ताव सं. :- FP/RJ/Road/6956/2014

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

CS

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां



(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक 654

दिनांक 8/9/2023

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

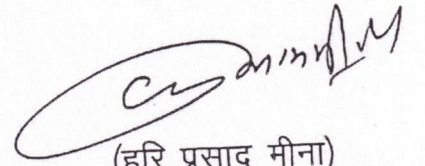
कार्य का नाम :- नेहरूपुरा से झिरी तक सड़क का निर्माण ।

प्रस्ताव सं. :- FP/RJ/Road/6956/2014

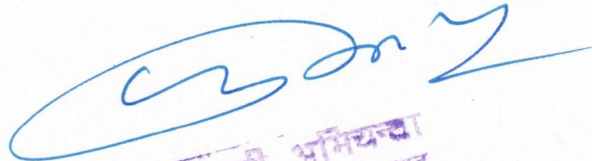
प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

CS

(दीपक कुमार मुस्ता)
वन संरक्षक
बारां



(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक 694

दिनांक 8/9/2023

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- नेहरूपुरा से झिरी तक सड़क का निर्माण ।

प्रस्ताव सं. :- FP/RJ/Road/6956/2014

प्रमाणित किया जाता है कि नेहरूपुरा से झिरी सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।

CS

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

कम्पांक 694

दिनांक 8/9/2023

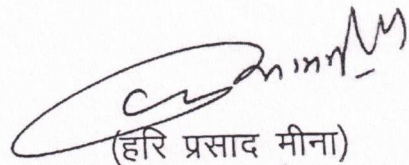
अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- नेहरूपुरा से झिरी तक सड़क का निर्माण ।

प्रस्ताव सं. :- FP/RJ/Road/6956/2014

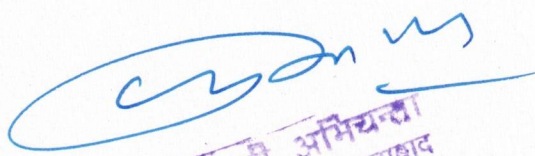
प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

CS



(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Reference No: 47669315

Government Of Rajasthan
WAM Inner/outer sheet

Department Code: BS

Department Name: Public Works Department

Month/Year: Aug/2023

Detailed Wam bill of: Ex En PWD Div SHAHBAD (Dist BARAN) 18436

Bill For Works Payment: WAM Payment

OfficeID: 18436

Division Name: PWD SHAHBAD

Reference No: 3736144

Wam Reference No: #3/3 of 782079

Date: 25/08/2023

Division Code: 120

Bill No: 47669315

AN: 2018001436B

Demand No: 30

DDO Code: 18436

Object Head: 74

Budget Head: 5054-04-796-07-00/SFN

NA: 0.00

Contingency Head:

The Treasury/Sub Treasury Officer, SHAHBAD

Please Order to pay ₹ 480805 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk

Sign of Clerk

Sign of Clerk

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limits of online allotted budget/LC

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign (With Seal)/e-Sign/Digital Sign of DDO

9414286802

Sl No	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head
1	Rajasthan Campa 1 Bengaluru 9414286802	UNION BANK OF INDIA 150856169560818 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/1/1900 12:00:00 AM	543309.00 480805.00	3736144	2059-80-001-04-01 38464.00 2059-80-052-04-01 9616.00 3054-03-337-01-03 14424.00

Gross Amount Rs. 543309.00

B.T. Amount: Rs. 62504.00

Net Amount: Rs. 480805.00

Amount In Words: FOUR LAKH EIGHTY THOUSAND EIGHT HUNDRED FIVE Only

Sign Of DDO with Seal/e-Sign/Digital Sign of DDO

For Accountant General Office

Admitted ₹
Objected ₹

No: 543309.00

Pay ₹ : 543309.00

(In Words) : FIVE LAKH FOURTY THREE THOUSAND THREE HUNDRED NINE ONLY

B.T. Heads : 62504.00

Total : 62504.00 Only

(In Cash) ₹ : 480805.00

(In Words) : FOUR LAKH EIGHTY THOUSAND EIGHT HUNDRED FIVE ONLY

Auditor

Supdt

Gaz. Officer

Auditor

AAO-I/II

Treasury/Sub Treasury Officer ESign

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षकDisclaimer: All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/she is solely responsible for it.
SW Courtesy National Informatics Centre, Rajasthan State Unit (http://paymanager.raj.nic.in) Group Name Gramin Gaurav Path STForward Time:
Print Date & Time: 25/08/2023 05:11 PMअधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Reference No :47669313

TV AIO

Government Of Rajasthan
WAM Inner/outer sheet

Month/Year : Aug/2023

Department Code : 65

Department Name : Public Works Department

Detailed Wam bill of Ex En P W D Div. SHAHBAD (Dist.BARAN)18436

OfficeID : 18436

Bill For Works Payment WAM Payment

Reference No : 3736142

Wam Reference No : #1/3 of 782079

Division Name : PWD SHAHBAD

Division Code : 120

Bill No : 47669313

Date : 25/08/2023

Demand No : 44

DDOCode : 18436

TAN : JDHO01436B

Object Head : 74

Budget Head : 5054-04-800-02-01/SFV

SF : 0.00 NonPlan : 0.00

NA : 0.00

ContingencyHead :

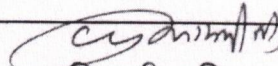
To.

The Treasury/Sub Treasury Officer,SHAHBAD

Please Order to pay ₹ 2588947 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk


 खडीय साखाकार
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

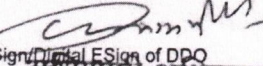

 अधिशाषी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimant is entitled to in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limits of bill and budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign (With Seal) / e-Sign / Digital E Sign of DDO

9414286802


 अधिशाषी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Sr. No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Reduction Amt
1	Rajasthan Campa 1 Bengaluru 9414286802	UNION BANK OF INDIA 150856169560818 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/1/1900 12:00:00 AM	2925510.00 2588947.00	3736142	2059-80-001-04-01 207116.00 2059-80-052-04-01 51779.00 3054-03-337-01-03 77668.00

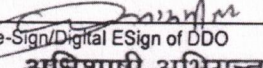
Gross Amount Rs. 2925510.00

B.T.Amount: Rs. 336563.00

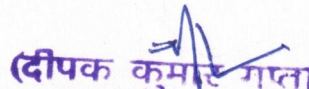
Net Amount:Rs. 2588947.00

Amount In Words : TWENTY FIVE LAKH EIGHTY EIGHT THOUSAND NINE HUNDRED FOURTY SEVEN Only

Sign Of DDO with Seal/e-Sign/Digital E Sign of DDO


 अधिशाषी अभियन्ता

For Accountant General Office			Treasury Voucher		
Admitted ₹	No:		No:		
Objected ₹	Pay ₹	2925510.00	Pay ₹	2925510.00	
	(In Words)	TWENTY NINE LAKH TWENTY FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED TEN ONLY	(In Words)	TWENTY NINE LAKH TWENTY FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED TEN ONLY	
	B.T. Heads	336563.00	B.T. Heads	336563.00	
	Total	336563.00Only	Total	336563.00Only	
	(In Cash) ₹	2588947.00	(In Cash) ₹	2588947.00	
	(In Words)	TWENTY FIVE LAKH EIGHTY EIGHT THOUSAND NINE HUNDRED FOURTY SEVEN ONLY	(In Words)	TWENTY FIVE LAKH EIGHTY EIGHT THOUSAND NINE HUNDRED FOURTY SEVEN ONLY	
Auditor	Supdt	Gaz. Officer	Auditor	AAO-I/II	Treasury/Sub Treasury Officer E Sign


 (दीपक कुमार गुप्ता)
 उप वन संरक्षक
 बारी

Disclaimer : All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/ she is solely responsible for it.
 S/W Courtesy National informatics centre, Rajasthan State Unit (http://paymanager.ra.nic.in) Group Name:Gramin Gaurav Path

Forward Time
 Print Date & Time 25/08/2023 05:11 PM


 अधिशाषी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Reference No : 47669314

TV. No

31610
06-09-2023Government Of Rajasthan
WAM Inner/outer sheet

Department Code : 65

Department Name : Public Works Department

Month/Year : Aug/2023

Detailed Wam bill of Ex En P W D Div. SHAHBAD (Dist.BARAN)[18436]

OfficeID : 18436

Bill For Works Payment : WAM Payment

Division Name : PWD SHAHBAD

Reference No : 3736143

Wam Reference No : #2/3 of 782079

Date : 25/08/2023

Division Code : 120

Bill No : 47669314

TAN : JDHO01436B

Demand No : 51

DDOCODE : 18436

SF : 0.00 NonPlan : 0.00

Object Head : 74

Budget Head : 5054-04-789-05-00/SF/V

NA : 0.00

ContingencyHead :

To,

The Treasury/Sub Treasury Officer SHAHBAD

Please Order to pay ₹ 628744 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk

Sign of DA
खडीय लेखाकारSign of Divisional Officer
अधिशायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with the rules and regulations of the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limits of online allotment budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign (With Seal)/e-Sign/Digital ESign of DDO

941428680
अधिशायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आईडी सी कोड नं-18436

Sr.No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Deduction Amt
1	Rajasthan Campa 1 Bengaluru 9414286802	UNION BANK OF INDIA 150856169560818 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/11/1900 12:00:00 AM	710481.00 628744.00	3736143	2059-80-001-04-01 50300.00 2059-80-052-04-01 12575.00 3054-03-337-01-03 18862.00

Gross Amount Rs. 710481.00

B.T.Amount: Rs. 81737.00

Net Amount:Rs. 628744.00

Amount In Words : SIX LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND SEVEN HUNDRED FOURTY FOUR Only

Sign Of DDO with Seal/e-Sign/Digital ESign of DDO

अधिशायी अभियन्ता

Treasury Voucher सार्वजनिक निर्माण विभाग

खण्ड - शाहाबाद

आईडी सी कोड नं-18436

Admitted ₹
Objected ₹No:
Pay ₹ : 710481.00

(In Words) : SEVEN LAKH TEN THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY ONE ONLY

B.T. Heads : 81737.00

Total : 81737.00Only
(In Cash) ₹ : 628744.00
(In Words) : SIX LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND SEVEN HUNDRED FOURTY FOUR ONLY

Auditor

Supdt

Gaz.Officer

Auditor

AAO-I/II

Treasury/Sub Treasury Officer ESign

(दीपक कुमार मत्ता)
उप वन संरक्षक
बारोंDisclaimer: All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/she is solely responsible for it.
S/W Courtesy National informatics centre, Rajasthan State Unit (<http://paymanager.raj.nic.in>) Group Name:5054roadForward Time
Print Date & Time 25/08/2023 05:10 PMअधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Works Department, Jaipur

FORM NO. 40

Bill No. & Date.

Bill Ref No.: 1217, Dated: 25/08/2023

PayManager Ref. Id(s): 3736142, 3736143, 3736144

Division Name: Ex. En. P.W.D. Div. SHAHBAD
(Dist. BARAN)

Division Code: 18436

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF&A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: Nahroopura to Jhiri, Nahroopura to Jhiri, Nahroopura to Jhiri

Vendor Name: Rajasthan Campa 1

Sanction/Autorization/Bill No: 6169560818 Dated: 25/08/2023

Reason: N/a

Bank Account No. - 150856169560818

Bank IFSC Code: UBIN0996335

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 36,98,496

(In Words): Rupees Thirty Six Lakh Ninety Eight Thousand Four Hundreds Ninety Six Only

Debit Heads / Payment From:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
1	5054-04-800-02-01-74-V-P	2588947	WorkId: 152660
2	5054-04-789-05-00-74-V-P	628744	WorkId: 152660
3	5054-04-796-07-00-74-V-P	480805	WorkId: 152660

Deductions/Recoveries:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
-------	-----------	--------	---------

This Bill will break in following part(s) for PayManager (Fisrt column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr	Amount Dr	Remarks
3736142	5054-04-800-02-01-74-V-P		2588947	WorkId: 152660
	Payment Through Treasury	2588947		
	5054-04-800-02-01-74-V-P		336563	Prorata WorkId: 152660
	2059-80-001-04-01-98-V-P	207116		Prorata
	2059-80-052-04-01-98-V-P	51779		Prorata
	3054-03-337-01-03-98-V-P	77668		Prorata
3736143	5054-04-789-05-00-74-V-P		628744	WorkId: 152660
	Payment Through Treasury	628744		
	5054-04-789-05-00-74-V-P		81737	Prorata WorkId: 152660
	2059-80-001-04-01-98-V-P	50300		Prorata
	2059-80-052-04-01-98-V-P	12575		Prorata
	3054-03-337-01-03-98-V-P	18862		Prorata
3736144	5054-04-796-07-00-74-V-P		480805	WorkId: 152660
	Payment Through Treasury	480805		
	5054-04-796-07-00-74-V-P		62504	Prorata WorkId: 152660

Courtesy: <https://wam.rajasthan.gov.in> (Printed on 8/25/2023 5:09:24 PM)अधिकाारी अमियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारों

2059-80-001-04-01-98-V-P
2059-80-052-04-01-98-V-P
3054-03-337-01-03-98-V-P

38464
9616
14424

Prorata
Prorata
Prorata

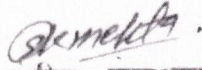
Net Amount Payable In Figures: **36,98,496**

Net Amount Payable In Words **Rupees Thirty Six Lakh Ninety Eight Thousand Four Hundreds Ninety Six Only**

Certified that :

- 1 The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
- 2 The Payment of this bill is not drawn previously.
- 3 Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
- 4 Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
- 5 All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
- 6 No tools & Plants has been issued to the Contractor.
- 7 Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated


सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद
Signature of DA with seal

For use in Divisional Office


अधिशायी अभियन्ता
सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद
आई. डी. कोड नं. 18436


अधिशायी अभियन्ता
सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद

CS


(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बाराँ

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-08-2023

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169560818
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/13/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin-325217 Baran
Amount(In Rs)	3698496/-

Amount in Words : Thirty-Six Lakh Ninety-Eight Thousand Four Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856169560818 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-08-2023

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169560818
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/13/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin-325217 Baran
Amount(In Rs)	3698496/-

Amount In Words : Thirty-Six Lakh Ninety-Eight Thousand Four Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856169560818 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Passed for Rs. 3698496/- only.

[Rs. Thirty six lacs ninety eight thousands four hundred ninety six only]

CS

अधिकापी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
अईडी सी कोड नं०-18436

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारों

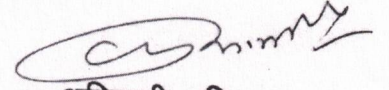
https://forestclearance.nic.in/useraccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD69562014818&INVLDT=T

अधिकापी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद
क्रमांक : 624
दिनांक : 25/08/2023

कार्यालय आदेश

इस खण्ड कार्यालय द्वारा Rajasthan Campa 1 के बिल प्राप्त संख्या 6169560818 दिनांक 25.08.2023 राशि रु. 3698496.00 को बजट मद 5054-04-800-02-01-74, 5054-04-789-05-00-74 and 5054-04-796-07-00-74 VP के Nahroopura to Jhiri की स्वीकृति में वन विभाग Clearance के तहत भारित कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

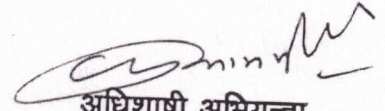


अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद
दिनांक : 25/08/2023

क्रमांक : 624

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:-

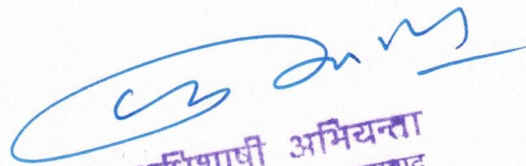
1. उपकोषाधिकारी, उपकोष कार्यालय शाहाबाद ।
2. रक्षित पत्रावली ।



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

CS

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बाराँ



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 226

दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

- आदेश :-

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 हे० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आवेश क्रमांक एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/ 6814-20 दिनांक 16.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट-अपार्ट) की गई हैं।

उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र क्रमांक एफ()एफ.सी.ए./उपस/14-15 /16782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/ 6528-29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(286)राज.-3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न०	एकमा (हे०)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बंजड़
			41	5.00	बंजड़
			42	6.52	बंजड़
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	9.58	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड़
			133	10.81	बंजड़
			149	3.63	बंजड़
			8 किता	62.24	
2		सोरसन	176	19.76	गैर मुमकिन बरडा
			173	19.15	गैर मुमकिन बरडा
			2 किता	38.91	
3		साखा	368	2.25	गैर मुमकिन बरडा
		कुल योग	11 किता	103.40 हे०	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद किया जावे।

(डॉ. एस. पी. सिंह)

जिला कलक्टर

बारां

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 226 दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर देया है कि आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद कर पालना भिजवावे।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर

बारां

हरि प्रसाद मीना

अधीक्षाधी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-शाखाबाद

अधीक्षाधी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-शाखाबाद

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

Land to be allotted to Forest Department

25/09/2014

PWD circle Baran

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hectare)	Remark
2			3	4	6	12
Old Cases						
1	Chhabra	Chhabra	PMGSY	पाटरी से भाटगाँव	1.50	
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	मामोनी से मोहनपुर	2.60	
				योग	4.10	
New Cases						
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिंगलोड से मदनखेड़ी बायाँ हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा धरनायदा सड़क	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	0.61	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से ताटखेडा ✓	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	माधोपुरा से जेतपुरा ✓	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	ढिकोनिया से तलावडा ✓	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरूपुरा से डिरी ✓	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	चिची से रामपुर उपरेटी ✓	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच-76 किमी. 573/0 से मुआ ✓	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से बरारा ✓	0.55	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसया ✓	4.00	
12	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (RSAMB)	कस्बाथाना से बमनगंवा ✓	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी केदारकुई से शिलोरा ✓	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	ख्यावदा से हरिपुरा ✓	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाडा से किशंगपुरा ✓	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घटदा ✓	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी ✓	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेडा डांग से पाटन ✓	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	केदारकुई से मुहाल ✓	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गंवरगढ से रनवारी ✓	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवारी से रनवारा ✓	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से गालीमाटी ✓	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगढ काला पट्टा सड़क किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा ✓	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बामनदेह ✓	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकडाई से मामली बायाँ दुर्जनपुरा ✓	1.00	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सड़क ✓	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर गुण्डियर सड़क (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी ✓	4.00	
28	NH Division	Alru		कवाई	3.25	

D:\MY DOCUMENT\Documents and Settings\SM\September_2014\Forest\Copy of forest information_17 Coloums_Circle Baran_11.09.2014

हरि प्रसाद मीना
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड-शाहाबाद

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप बरन संरक्षक
बारी

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4	6	18
29	NH Division	Atru		खेडली गादिया	1.02	
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	0.44	
32	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipabarod		नयापूरा	4.92	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	

(सुनिता माणुर)
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि.0 वृत्त गोंरा

हरि प्रसाद मीना
अधीशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड-शाहाबाद

अधीशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

(दीपक कुमार गुप्ता)
अधी वन संरक्षक
बाराँ

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विवेकानंद रायसंग परमजीवनार्थी को अन्तर्गत जिला वन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से विवेकानंदरायसंग वनभूमि (103.40 है०) वन विभाग को नाम आर्वादेरा की गई है।

तहसील अन्ता गांव बिलेण्डी की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि अधिकारी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह रागरा गैर वनभूमि यूजर कोन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर समाला ली गई है।

तहसील	गांव	खसरा नं.	रकबा (कि०)
अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20
		41	5.00
		43	6.52
		114	5.80
		115	9.58
		116	7.70
		138	10.81
		149	3.63
	योग	योग	62.24

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक 102 (नरेंद्र शर्मा (ब.र.))

2 नाका प्रमारी 021मीना 06/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी

2 कानूनगो

उप वन संरक्षक
बाराँ

(दीपक कुमार मुस्ता)
उप वन संरक्षक
बाराँ

(Narain Singh)
6/9/17

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बाराँ

(अशोक सनाह्य)
अधिसापी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

हरि प्रसाद मीना
अधिसापी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-शाहाबाद

अधिसापी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अजंठा

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सहक परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला स्तर पर जारी आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से विमानानुसार वनभूमि (103.40 है०) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

उपरोक्त अजंठा गांव ताखा की विमानसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि जांच की गयी है। उपर्युक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेंसी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	विवरण	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
1		ताखा	368	2.25
		कुल	1 किता	2.25

हस्ताक्षर जारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक नरेंद्र शर्मा (व.२.)

2 नाका प्रभारी अशोक मीना 06/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी रमेश 02/09/17

2 कानूनगो अशोक मीना
सा.नि.वि. खण्ड-शाहाबाद
6-9-17

उप वन संरक्षक
बारां

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

अशोक सनाध्य
अधिसापी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

दीपक कुमार मीना
उप वन संरक्षक
बारां

हरि प्रसाद मीना
अधिसापी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-शाहाबाद

अधिसापी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला वनपर बारा द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है०) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

उपरोक्त अन्तर्गत नाम गोरान की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वापसी करने हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से हावता है इसमें किसी प्रकार का कोई औसतमण एवं व्यापिक प्रचरण विचारणीय नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि भूजल एजेंसी से इस कार्यालय द्वारा गौको पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	अन्तर्गत	नाम	सरासरी नं.	रकबा (हैक्टर)
1		गोरान	1175	19.76
			1173	19.15
		योग	2 कित्ता	38.91

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक

2 जमीन प्रणारी

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 जमीन परवारी

2 वनभूमि

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारा

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारा

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारा

(अशोक सनादिया)
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

हरि प्रसाद मीना
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-शाहाबाद

अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

का नाम :- ताखा

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से
स्थायी

वार हल्का :- मानपुरा

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

अभि.नि. :- खजूरनाकला

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 105

जिला :- वाराँ

खाता संख्या पुराना :- 100

काश्तकार का नाम:-

1. उपवन संरक्षक वाराँ वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

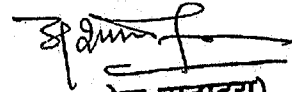
खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
368	2.2500	जंगलात	2.2500	0.00		
कुल खसरे - 1	2.2500		2.2500			

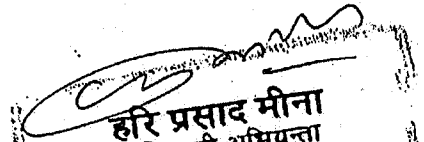
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

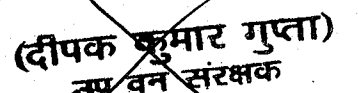
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

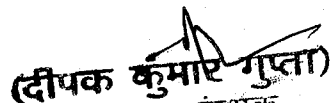
नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

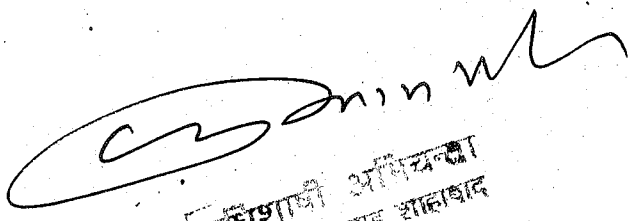



(अशोक सनादय)
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


हरि प्रसाद मीना
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-शाहाबाद


(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
वाराँ


(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
वाराँ


अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ता नाम :- गोरगन
गार हन्त :- गोरगन
अभि. नि. :- गोरगन
हमील :- अन्ता
जिला :- चार्ग

अन्तिम चीगला आधार गम्बत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से
स्थापी
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 617
खाता संख्या पुराना :- 1

कार्यवाही का नाम :-

1. वन विभाग 293 हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	रिचार्ज के साधन अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1173	19.1500	गै.मु.जंगल	19.1500	0.00	
1175	19.7600	गै.मु.जंगल	19.7600	0.00	
1176	2.0000	गै.मु.जंगल	2.0000	0.00	
1177	18.6600	गै.मु.बरडा	18.6600	0.00	
1527	26.0000	गै.मु.जंगल	26.0000	0.00	
1528	32.8500	गै.मु.जंगल	32.8500	0.00	
1529	31.5000	गै.मु.जंगल	31.5000	0.00	
1530	17.6000	गै.मु.जंगल	17.6000	0.00	
1531	21.0000	गै.मु.जंगल	21.0000	0.00	
1532	20.0000	गै.मु.जंगल	20.0000	0.00	
1533	15.0000	गै.मु.जंगल	15.0000	0.00	
1543	12.4900	गै.मु.जंगल	12.4900	0.00	
1544	11.4500	गै.मु.जंगल	11.4500	0.00	
1548	24.3600	गै.मु.जंगल	24.3600	0.00	
1552	20.0000	गै.मु.जंगल	20.0000	0.00	
1781	15.2600	गै.मु.जंगल	15.2600	0.00	
1784	6.3100	गै.मु.जंगल	6.3100	0.00	
1785	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1786	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1787	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1788	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1789	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1790	13.3400	गै.मु.जंगल	13.3400	0.00	
1791	6.0000	गै.मु.जंगल	6.0000	0.00	
1795	12.0000	गै.मु.जंगल	12.0000	0.00	
1796	11.1000	गै.मु.जंगल	11.1000	0.00	
1796/1968	0.9000	गै.मु.जंगल	0.9000	0.00	
1797	8.0000	गै.मु.जंगल	8.0000	0.00	
1798	12.0000	गै.मु.जंगल	12.0000	0.00	
1799	7.5600	गै.मु.जंगल	7.5600	0.00	
2136/1524	20.0600	गै.मु.जंगल	20.0600	0.00	

CS
(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारी

(अशोक सनादय)
अधिरापी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

हरि प्रसाद मीना
अधिरापी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-शाहाबाद

525	21.3800	गै.मु.जंगल	21.3800	0.00
526	16.0600	गै.मु.जंगल	16.0600	0.00
1176	16.0600	गै.मु.बरडा	16.0600	0.00
सरे - 34	502.8500		502.8500	

पत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

ल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020



(Handwritten signature)
 (अध्यापक संगठन)
 अध्यापकी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

(Handwritten signature)
हरि प्रसाद मीना
 अध्यापकी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड-शाहाबाद

CS

(Handwritten signature)
(दीपक कुमार मुत्ता)
 उप वन संरक्षक
 बाराँ

(Handwritten signature)
 अध्यापकी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

नाम :- बिलेण्डी

हल्का :- मानपुरा

भि.नि. :- खजूरनाकला

सील :- अन्ता

ला :- बाराँ

अंतिम चोसना आधार सम्बत :- 2076 - 2079 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से
स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 78

खाता संख्या पुराना :- 78

अशतकार का नाम :-

1. उप वन संरक्षक बारा वन विभाग हेतु हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

सरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
14	5.8000	गै.मु.बरडा	5.8000	0.00		
15	9.5800	गै.मु.बरडा	9.5800	0.00		
16	7.7000	गै.मु.बरडा	7.7000	0.00		
38	10.8100	गै.मु.बरडा	10.8100	0.00		
149	3.6300	गै.मु.बरडा	3.6300	0.00		
39	13.2000	गै.मु.बरडा	13.2000	0.00		
41	5.0000	गै.मु.बरडा	5.0000	0.00		
42	6.5200	गै.मु.बरडा	6.5200	0.00		
कुल खसरे - 8	62.2400		62.2400			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020



(अशोक सनादय)
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

CS

हरि प्रसाद मीना
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-शाहाबाद

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बाराँ

अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

(संविधान के अन्तर्गत)
 (संविधान के अन्तर्गत)
 (संविधान के अन्तर्गत)